45/42

दि० 18/12/2017

फार्म

*~~प्रथम नियुक्ति~~ के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०17-18.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो संजय खेडकर, सहायक आयुक्त 2. वर्तमान धारित पद सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास

3. वर्तमान वेतन रू. 31000 + Gr. Pay 7600, + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2018.

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - कोटरा सुल्तानाबाद तहसील - हुजूर जिला - भोपाल संभाग - भोपाल	गृह भवन म. नं. 132 गोमती कालोनी नेहरु नगर चौराहा भोपाल (म.प्र.)	—	रू. 50.00 लाख मात्र (रू. पचास लाख मात्र) लगभग	स्वयं के नाम पर	स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाहपुरा ब्रांच, भोपाल से होम फायनेंस अन्तर्गत बंधक	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 18/12/17

नाम संजय खेडकर

पद सहायक, आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग - जिला - सिंगरौली (म०प्र०)

सभी विभाग / विभागाध्यक्ष उनके अधीनस्थ